सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 03/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री परमानन्द पुत्र श्री शंकर लाल उम्र 42 वर्ष जाति नामदेव निवासी एसबीबीजे के सामने वाली गली केलवाडा जिला बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स नामदेव किराना स्टोर, सीताबाडी तिराहा केलवाडा, तह. शाहबाद जिला बारां।
2. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री सुरजमल निवासी मैन मार्केट बारां मैसर्स गुप्ता एजेन्सी, खण्डेलवालो के मन्दिर के सामने प्रताव चौक बारां।
3. गुप्ता एजेन्सी, खण्डेलवालो के मन्दिर के सामने प्रताप चौक बारां।
4. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव निवासी अचलगढ, इन्होना, राय बरेली उत्तर प्रदेश–229801 (लाईसेन्स धारी) Everady Industries India Ltd. Plot No. E-168, Road No. 9 Jaipur-302013
5. Everady Industries India Ltd. Plot No. E-168, Road No. 9 Jaipur-302013

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1,4,5)

निर्णय दिनांक 10.5.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2017 को मैसर्स नामदेव किराना स्टोर, सीताबाडी तिराहा केलवाडा, तह. शाहबाद जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री परमानन्द पुत्र श्री शंकर लाल **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 10.03.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम** गत्ता पैक मे विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम पैक मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **चायपत्ति (तेज)** 500 ग्राम पैक के 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री परमानन्द पुत्र श्री शंकर लाल **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** को 440/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री खलील व श्री ओम प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **चायपत्ति (तेज)** 500 ग्राम के 04 मूल पैक पैकेट को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर मूल पैक पैकिट पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एएच–700 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 मय मूल पैक को कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–700 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री परमानन्द पुत्र श्री शंकर लाल **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/99 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 177/FSSA/Kota/Act/2017/187 दिनांक 28.03.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी खाद्य पदार्थ **चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम** पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3 (1)(Zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थीगणों से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रतिउत्तर में मैसर्स नामदेव किराना स्टोर द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल एवं आधार कार्ड कार्यालय मे पेश किया गया और मैसर्स गुप्ता एजेन्सी, खण्डेलवालो के मन्दिर के सामने प्रताव चौक बारां द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल कार्यालय मे पेश किया गया। तत्पश्चात Everady Industries India Ltd. Plot No. E-168, Road No. 9 Jaipur द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी प्रति, पीओए नोमिनि, फार्म बी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई जिसमें श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव निवासी अचलगढ, इन्होना, राय बरेली उत्तर प्रदेश–229801 (लाईसेन्स धारी) पाये गये।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 16.01.2018 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1,4,5 की ओर से श्री घनश्याम अग्रवाल एडवोकेट द्वारा जर्ये वकालतनामा उपस्थित दी गई। अप्रार्थी क्रम 2 के नाम जारी सम्मन मृत्यु होने की सूचना के साथ मय छायाप्रति मृत्यु प्रमाण वापिस लौटा। अप्रार्थी क्रम 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी क्रम 1,4,5 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी क्रम 1,4,5 के अभिभाषक की उभयपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम** पैक का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1, 4 व 5 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि इस्तागासा गलत रूप से पेश किया गया है। विक्रेता व कम्पनी की कोई गलती नही है और ना ही किसी प्रकार का कोई मिस ब्राण्ड रहा है। चायपत्ति के नमूने बाबत जो रिपोर्ट आई है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नही पायी गई है। चायपत्ती अपने मानक स्तरों से उच्च स्तर की पायी गई है। लेबल में जो बताया गया है कि बेस्ट बीफोर नही लिखा है, जबकि बीफोर प्रिंटेड होता है। कम्पनी में जो पैकिट चायपत्ती के छपते है वह प्रिंटेड होते है एवं बेस्ट बीफोर 12 माह प्रिंटेड होता है, पैंकिग के समय पैंकिग तिथि डलती है जो कि उन पर जनवरी 2017 डली हुई थी, ऐसा संभव नही है कि बेस्ट बीफोर नही लिखा हुआ हो, इसलिये जो पैकिट खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदे गये है उन्हे न्यायालय में मंगवाये जाने का अभियुक्तगण निवेदन करते है। जब पैकिंग तिथि डली हुई है तो बेस्ट बीफोर का ज्यादा मतलब भी नही होता है। अप्राथीगण का कोई दोष नही है ना ही मिथ्याछाप अंकित है। अभियुक्त क्रम 1, 4 व 5 के विरूद्ध पेश की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 177/FSSA/Kota/Act/2017/187 दिनांक 28.03.2017 के के बाद अप्रार्थीगण को **चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम** पैक की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम** पैक जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1,3,4,5 को प्रत्येक अप्रार्थी को 5000/–रूपये कुल जुर्माना राशि 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि पृथक–पृथक अप्रार्थीगण प्रति अप्रार्थी 5000/– रूपये अथवा चारो अप्रार्थीगण मिलकर 20,000/– रूपये किसी भी एक अधिकृत प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवाये। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 3 को उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवायी जावे। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 30.6.2019 के बाद मिथ्याछाप (Mis Branded) चायपत्ति (तेज) 500 ग्राम पैक विक्रय हेतु मार्केट मे नही रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)